"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]　　रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जुलाई 2018 — आषाढ़ 13, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 13, 1940)

क्रमांक-6908/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018), जो बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 13 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द "दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग" के स्थान पर, शब्द "हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र. 16 सन् 2015) की धारा 4 का संशोधन.

3. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र. 16 सन् 2015) की धारा 4 में, शब्द "दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग" के स्थान पर, शब्द "हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य शासन ने "दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग" के नाम को परिवर्तित कर "हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग" करने का विनिश्चय किया है;

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) यथा संशोधित छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र. 16 सन् 2015) को संशोधित करना आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 29 जून, 2018

प्रेम प्रकाश पाण्डेय
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का सुसंगत उद्धरण :-

द्वितीय अनुसूची
भाग-दो (पुनरीक्षित)
[धारा 4 (सत्रह) देखिए]

स. क्र. (1)	विश्वविद्यालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	जगदलपुर	कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
2.	सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर	अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
3.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र
4.	दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) की धारा-4 का सुसंगत उद्धरण :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र. 16 सन् 2015) की धारा 4	समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के पूर्व पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रवृत्त हो, वे दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.